

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 162/2020

दायर दिनांक: 13.10.2020

उनवान

1. मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र फूलचंद जाति बैरवा
2. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र फूलचंद जाति बैरवा निवासीगण बजरपुर तहसील श्योपुर (म०प्र०) हाल मुकाम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. मांगीबाई आयु 58 वर्ष पत्नी घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी गणेश मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. रामचरण आयु 60 पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी बजरपुर तहसील श्योपुर म०प्र० हाल मुकाम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज०।
3. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू।
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 1 व 2

निर्णय

दिनांक 18/12/2024

वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता सख्या 215 के खसरा न० 208 का रकबा 2.08 हैक्ट० खसरा न० 210 रकबा 1.19 हैक्ट० कुल किता 2 का कुल रकबा 3.27 हैक्ट० आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 30.11.2022 द्वारा प्रथमिक डिक्री जारी कर कब्जे काश्त का ध्यान रखते हुए दोनो पक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार अटरू द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र

क्रमांक/राजस्व/2024/441 दिनांक 13.02.2024 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। जिससे अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादी गण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2022 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया के खाता सख्या 215 के खसरा न0 208 का रकबा 2.08 हैक्ट0 खसरा न0 210 रकबा 1.19 हैक्ट0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.27 हैक्ट0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:—

वादीगण:—

1. मुकेश पुत्र फुलचन्द हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर (म0प्र0) हाल गन्दोलिया खातेदार
2. राजेन्द्र पुत्र फुलचन्द हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर (म0प्र0) हाल गन्दोलिया खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू

खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
210	0.65	चाही-3	14.30	उत्तर
208	0.98	माल-1	11.76	उत्तर
किता 2	1.63	—	26.06	—

प्रतिवादीगण:—

1. मांगीबाई पत्नि घांसीलाल जाति मेघवाल सा0देह खातेदार हिस्सा पूर्ण
2. रामचरण पुत्र लोडक्या जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर हाल गन्दोलिया रहन:—
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अटरू

खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
208	0.82	माल-1	9.84	दक्षिण-पूर्व
किता 1	0.82	—	9.84	—
210	0.54	चाही-3	11.88	दक्षिण
208	0.28	माल-1	3.36	दक्षिण-पश्चिम
किता 2	0.82	—	15.24	—

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 162/2020

उनवान

1. मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र फूलचंद जाति बैरवा
2. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र फूलचंद जाति बैरवा निवासीगण बजरपुर तहसील श्योपुर (म0प्र0) हाल मुकाम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. मांगीबाई आयु 58 वर्ष पत्नी घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी गणेश मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. रामचरण आयु 60 पुत्र लोडक्या जाति बैरवा निवासी बजरपुर तहसील श्योपुर म0प्र0 हाल मुकाम गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. शाखा प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू।
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :-

वादी :- विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव।

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर प्रतिवादी क्रम 1 व 2

मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल गन्दोलिया के खाता सख्या 215 के खसरा न0 208 का रकबा 2.08 हैक्ट0 खसरा न0 210 रकबा 1.19 हैक्ट0 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.27 हैक्ट0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

वादीगण:-

1. मुकेश पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर (म0प्र0) हाल गन्दोलिया खातेदार
2. राजेन्द्र पुत्र फूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर (म0प्र0) हाल गन्दोलिया खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू

खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
210	0.65	चाही-3	14.30	उत्तर
208	0.98	माल-1	11.76	उत्तर
किता 2	1.63	-	26.06	-

प्रतिवादीगण:-

1. मांगीबाई पत्नि घांसीलाल जाति मेघवाल सा0देह खातेदार हिस्सा पूर्ण

खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
208	0.82	माल-1	9.84	दक्षिण-पूर्व
किता 1	0.82	-	9.84	-

2. रामचरण पुत्र लोडक्या जाति बैरवा सा0 बजरपुर तहसील श्योपुर हाल गन्दोलिया रहन:-
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अटरू

खसरा न0	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
210	0.54	चाही-3	11.88	दक्षिण
208	0.28	माल-I	3.36	दक्षिण-पश्चिम
किता 2	0.82	-	15.24	-

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.12.2024 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)